अपील सूचना अधिकार संख्या 107/2021 (GCMS 2021/168)(आईटीआई पोर्टल नं. 212780259081812) श्री कृष्णलाल पुत्र रतिराम गांव चक 1 पीपी, डाकखाना, घमूड़वाली, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान — [illegible]041 बनाम तहसीलदार (राजस्व), पदमपुर

22.08.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी कृष्णलाल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने तहसीलदार (राजस्व), पदमपुर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक प्रार्थना पत्र पेश कर, एक बिन्दु की सूचना चाही थी, किन्तु तहसीलदार, पदमपुर ने उसे सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत तहसीलदार, पदमपुर के विरूद्ध पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 04.10.2021 के द्वारा तहसीलदार, पदमपुर से निम्न सूचना चाही थी:

> मौका फर्द 06.05.2021 (नकल नथी) रिपोर्ट पर आपने हमसे मौके पर ही हस्ताक्षर करवाएं। उस समय वहां कमलजीत सिंह नाम का कोई व्यक्ति मौके पर मौजूद नही था। क्या यह हस्ताक्षर हमारे गांव के सरपंच साहब श्री कमलजीत सिंह के हस्ताक्षर है या नही? तस्दीक करें।
>
> प्रार्थना है मेरी मांगी सूचना नंबर 1 अधीन आरटीआई एक्ट 2005 प्रमाणित करके मुझे रजिस्टर्ड डाक से भेजने की कृपा करे।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया कि तहसीलदार (राजस्व), पदमपुर ने अपने पत्रांक राजस्व/2021/1863 दिनांक 08.12.2021 से अपीलार्थी को जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते
Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.09.16 10:46:21 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि प्रार्थी श्री कृष्णलाल से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत कार्यालय हाजा में दिनांक 13.09.2021 को प्राप्त हुआ था। उक्त प्रार्थना पत्र में चाही गई सूचना सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार की प्रश्नवाचक (फर्द मौका पर क्या यह हस्ताक्षर हमारे गावं के सरपंच साहब श्री कमलजीत सिंह के हस्ताक्षर है या नही तस्दीक करे) होने के कारण प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक भू.अ./1456 दिनांक 17.09.2021 जरिये रजिस्टर्ड डाक के द्वारा अवगत करवा दिया गया था कि आप द्वारा चाही गई सूचना सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में अभिलिखित सूचना के परिक्षेत्र में नही आती है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना में वर्णित फर्द मौका की प्रतिलिपि पूर्व में क्रम संख्या 69/13.08.2021 के जरिये प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थी कार्यालय हाजा से प्राप्त कर चुका है। सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई फर्द अहकाम एवं प्रार्थी को उसके सूचना के अधिकार अधिनियम कि अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के प्रतिउत्तर की प्रतिलिपि संलग्न सादर प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तनुसार।

Signature Not Verified

-sd-

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.09.16 10:46:21 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] (राजस्व)
[illegible]बायला

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उप तहसीलदार (राजस्व), बींझबायला ने अपने पत्रांक भू.अ./1456 दिनांक 17.09.2021 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है :

> आपके प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आरटीआई एक्ट 2005 (रजिस्टर्ड) में मौका फर्द 06.05.2021 रिपोर्ट पटवारी में सरपंच साहब श्री कमलजीत सिंह के हस्ताक्षर है या नहीं की तस्दीक चाही गई है। आपके द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नवाचक होने से आरटीआई एक्ट 2005 के अन्तर्गत सूचना में नहीं आती है। सूचनार्थ पत्र प्रेषित है।
>
> -sd-
> उप तहसीलदार
> (भू.अ.) बींझबायला

चूंकि उप तहसीलदार (राजस्व), बींझबायला अपने उक्त पत्र दिनांक 17.09.2021 से अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की **धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है, **जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए** एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। [illegible] से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये [illegible] लोक सूचना अधिकारी का काम नही है।** इस **अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नहीं**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.09.16 10:46:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा **जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है, इसलिए उप तहसीलदार (भू.अ.), बींझबायला द्वारा अपीलार्थी को जो जवाब दिया गया है, वह सही है** उसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की अपील खारिज की जाती है आदेश की प्रति **उप तहसीलदार (भू.अ.), बींझबायला को पालनार्थ** एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्माणि रियार सिहाग)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.09.16 10:46:21 IST
Reason: SelfAttested